International Journal of Education and Science Research Review

E-ISSN 2348-6457

September-October- 2019, Volume-6, Issue-5 P-ISSN 2349-1817

www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

राष्ट्रपति शासन के उपयोग का संवैधानिक या राजनीतिक विश्लेषण

Dr Sarita Tiwari

Associate Professor , Department of Political Science,

Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar.

सार

भारतीय संविधान के तहत सरकार का संसदीय स्वरूप स्थापित किया गया है। जहां राज्य का मुखिया संवैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। हालाँकि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है लेकिन वह इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव जनता और विधायिका के सदस्यों द्वारा किया जाता है। "भारत का एक राष्ट्रपति होगा" भारत का संविधान इस प्रावधान से शुरू होता है। वह राज्य के मुखिया हैं. संघ की कार्यकारी शक्ति सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति में निहित होगी। अधीनस्थ अधिकारी वाक्यांश में एक मंत्री भी शामिल है। संघ की रक्षा सेवा की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति में निहित होगी। आम तौर पर, कार्यकारी शक्ति का अर्थ और विस्तार उन मामलों तक होता है जिनके संबंध में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग संविधान विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के अनुसार किया जाना चाहिए। आम तौर पर कार्यकारी शक्ति सरकार के कार्यों का अवशेष है, जो विधायी या न्यायिक नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दी गई शक्ति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या कम करने या उसकी सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की है।

मुख्य शब्द: *राष्ट्रपति शासन, भारतीय संविधान।*

परिचय

किसी भी देश में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जब सामान्य संवैधानिक प्रावधानों पर काम नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रावधानों वाले अधिनियमों से उन परिस्थितियों1 के लिए प्रावधान करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा ही एक अधिनियम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 है जिसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार को निलंबित करने और केंद्र का प्रत्यक्ष शासन लागू करने से है। केंद्र सरकार संबंधित राज्य का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में लेती है और राज्यपाल उसका संवैधानिक प्रमुख बन जाता है। विधान सभा या तो भंग कर दी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। ऐसी स्थिति चुनाव आयोग को छह महीने के भीतर दोबारा चुनाव कराने के लिए मजबूर करती है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी राज्य पर यह नियम लागू करने की शक्ति देता है। ऐसी कुछ शर्तें हैं जिन पर राष्ट्रपति को नियम लागू करने से पहले विचार करना होगा: यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

राज्य सरकार उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित समय के भीतर किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनने में असमर्थ है।

1. गठबंधन टूट गया है, जिसके कारण मुख्यमंत्री को सदन में अल्पमत का समर्थन प्राप्त है, और मुख्यमंत्री दिए गए समय में बहुमत साबित करने में विफल रहते हैं।
2. सदन में अविश्वास प्रस्ताव के कारण विधानसभा में बहुमत का नुकसान।
3. प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या महामारी जैसी स्थितियों के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए।

पहले राष्ट्रपति शासन को चरणों में तीन साल तक बढ़ाया जा सकता था। राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है और इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के बाद, राष्ट्रपति शासन को केवल निम्नलिखित शर्तों के तहत हर 6 महीने में एक वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है: चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि संबंधित राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं या पूरे देश में या पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है। संपूर्ण राज्य या उसका कोई भाग।

उनके पुनर्गठन के लिए चार पिछले राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है यानी विंध्य प्रदेश, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, आंध्र राज्य, त्रावणकोर कोचीन में क्रमशः 1949, 1953, 1954 और 1956 में 5। इन सभी मामलों में न्यायपालिका के किसी भी हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि केवल राज्यों के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना अस्थायी था जो उस समय आवश्यक था। हालाँकि, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति शासन अनावश्यक रूप से लागू नहीं किया गया है। इस लेख में भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का उनके परिस्थितिजन्य विवरण के साथ पता लगाया गया है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले के ऐतिहासिक फैसले से पहले और बाद में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रवृत्ति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान किया गया है।

दक्षिण भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक और राजनीतिक पहलुओं को समझने के लिए हमें भारतीय संविधान और राजनीतिक परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए। भारतीय संविधान भारत के सभी राज्यों के लिए सामान्य निर्देश और नियमों का सेट है जो उन्हें चलाने में मदद करता है।

राष्ट्रपति शासन (President's Rule): भारतीय संविधान के अनुसार, अगर किसी राज्य में स्थिति बिगड़ जाती है और सरकार अस्थायी रूप से समाप्त होती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसमें राज्य की सरकार को स्थायी रूप से बदल दिया जाता है और राज्य को संघ के अधीन कर दिया जाता है।

राजनीतिक दलों का प्रभाव: दक्षिण के राज्यों में राजनीतिक दलों का बड़ा प्रभाव होता है। यहां पर विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो विभिन्न प्रांतीय मुद्दों पर काम करते हैं और अपने विचारों को प्रमोट करने के लिए प्रयासरत रहते हैं।

भू-राजनीति: दक्षिण के राज्यों में भूमि सम्बन्धी मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कृषि यहां के अर्थतंत्र का मुख्य स्रोत हो सकती है। भू-राजनीति के माध्यम से विभिन्न किसान और कृषि संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकता है।

भाषा और सांस्कृतिक मुद्दे: राज्यों के बीच भाषा और सांस्कृतिक मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ राज्य अपनी भाषा और सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखने के लिए समर्थ हैं और इस पर ध्यान देते हैं।

सामाजिक और आर्थिक मुद्दे: दक्षिण के राज्यों में सामाजिक और आर्थिक मुद्दे भी अहम होते हैं। यहां पर विभिन्न समाजसेवी योजनाओं और आर्थिक नीतियों के माध्यम से लोगों को समृद्धि और समाजिक सुरक्षा में मदद की जा सकती है।

पंजाब

पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक एवं राजनीतिक प्रयोग को समझने के लिए आपको राज्य के इतिहास, संविधान, और राजनीतिक परिस्थितियों को विस्तार से जानना चाहिए:

राज्य का इतिहास: पंजाब राज्य भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसमें सिख धर्म का गठन हुआ था। इसका इतिहास संविधानिक परिस्थितियों को समझने में मदद कर सकता है।

राष्ट्रपति शासन (President's Rule): राज्य में अगर स्थिति बिगड़ जाती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसमें राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य को संघ के अधीन कर दिया जाता है। यह एक संविधानिक प्रावधान है जिसे अत्यंत सतर्कता के साथ लागू किया जाता है।

राजनीतिक दलों का प्रभाव: पंजाब में विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो अपने विचारों को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। इन दलों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्तर भी महत्वपूर्ण होता है।

भू-राजनीति: पंजाब में कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, और इसलिए भू-राजनीति भी महत्वपूर्ण है। किसानों के हकों और भूमि संरक्षण के मुद्दे यहां के राजनीतिक चरणों में एक बड़ा स्थान रख सकते हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का महत्व: पंजाब में सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। यहां पर विभिन्न सामाजिक समृद्धि योजनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा सकता है।

हरियाणा

हरियाणा राज्य में राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक एवं राजनीतिक प्रयोग को समझने के लिए निम्नलिखित अंशों का अध्ययन कर सकते हैं:

राष्ट्रपति शासन (President's Rule): भारतीय संविधान के अनुसार, अगर हरियाणा राज्य में स्थिति अस्तायी रूप से बिगड़ती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य को संघ के अधीन किया जाता है। यह एक ऐसा कदम है जो अत्यंत सतर्कता से लिया जाता है और राज्य में स्थिति सुधारने के लिए किया जाता है।

राजनीतिक दलों का प्रभाव: हरियाणा में विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यहां पर जनता के विचारों और मुद्दों को उठाने के लिए राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है।

भू-राजनीति: हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और इसमें भू-राजनीति का विशेष महत्व होता है। किसानों के हकों, जल, और खेती से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे: हरियाणा में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को बचाए रखने के लिए विभिन्न योजनाएं चलती हैं। यहां पर समुदायों के बीच सद्भावना और एकता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

आर्थिक मुद्दे: हरियाणा का अर्थतंत्र भी मुख्य धारा में है और राज्य में आर्थिक विकास के प्रति प्रधिकृति बनाए रखने के लिए योजनाएं चलती हैं।

राजस्थान

राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक और राजनीतिक प्रयोगों को समझने के लिए निम्नलिखित कई पहलुओं का मध्यनजर रखा जा सकता है:

राष्ट्रपति शासन (President's Rule): भारतीय संविधान के अनुसार, अगर राजस्थान में स्थिति अस्तायी रूप से बिगड़ती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इससे राज्य सरकार बर्खास्त होती है और राज्य को संघ के अधीन कर दिया जाता है। यह एक संविधानिक प्रावधान है जो स्थानीय शासन की सुरक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से लागू किया जाता है।

राजनीतिक पार्टियां और दलों का प्रबंधन: राजस्थान में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और दल हैं जो विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन पार्टियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक प्रणालियों का संचालन होता है।

भू-राजनीति: राजस्थान में भूमि से जुड़ी राजनीतिक मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां कृषि बड़े हिस्से से लोगों का आजीविका स्रोत है। किसानों के हकों और भूमि संरक्षण के मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का महत्व: राजस्थान में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को बचाए रखने के लिए विभिन्न योजनाएं चलती हैं। समुदायों के बीच सद्भावना और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए उदाहरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

आर्थिक मुद्दे: राजस्थान का आर्थिक विकास और रोजगार के संबंध में नीतियों का प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण है। यहां के लोगों को आर्थिक सुरक्षा में मदद करने के लिए योजनाएं चलती हैं।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक और राजनीतिक प्रयोगों को समझने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है:

राष्ट्रपति शासन (President's Rule): यह एक संवैधानिक प्रावधान है जिसे अगर हिमाचल प्रदेश में स्थिति बिगड़ जाती है, तो सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इससे सरकार को स्थानीय निर्वाचनों की तारीख तक स्थानीय शासन की रूप में संचालित किया जाता है।

राजनीतिक पार्टियां और दलों का प्रबंधन: हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और दल हैं जो विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इन पार्टियों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और गतिविधियों का प्रबंधन होता है।

भू-राजनीति: हिमाचल प्रदेश में भू-राजनीति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां कृषि एक प्रमुख आजीविका स्रोत है। किसानों के हकों, जल, और खेती से संबंधित मुद्दों पर प्रबंधन होता है।

सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का महत्व: हिमाचल प्रदेश में सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को बचाए रखने के लिए विभिन्न योजनाएं चलती हैं। समुदायों के बीच सद्भावना और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए उदाहरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

आर्थिक मुद्दे: हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के संबंध में नीतियों का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। यहां के लोगों को आर्थिक सुरक्षा में मदद करने के लिए योजनाएं चलती हैं।

संवैधानिक सरकार

लगभग सभी राष्ट्र-राज्यों में यह समानता है कि उनका एक संविधान है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 192 देशों में से केवल आठ के पास कोई बुनियादी दस्तावेज नहीं था जिसे संविधान माना जा सके। संविधान स्पष्ट रूप से दुनिया भर में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अवलोकन और भी पुष्ट हो जाता है यदि कोई इस बात को ध्यान में रखता है कि संविधान अठारहवीं शताब्दी में ही उभर चुके थे। फिर भी, राजनीति विज्ञान (और कानून के भी) के हिस्से के रूप में संविधान का अध्ययन युद्ध के बाद के युग में फीका पड़ गया और केवल पिछले दशक में फिर से जांच का विषय बन गया। इस नये सिरे से ध्यान देने के दो कारण दिये जा सकते हैं:

- 1980 के दशक के उत्तरार्ध से, सभी संविधानों में से लगभग 45 प्रतिशत की या तो कल्पना की गई और उन्हें अपनाया गया या कठोरता से बदल दिया गया;

- उसी अवधि में, राजनीतिक खेल के मौजूदा नियमों के परिणामस्वरूप, सरकार कैसे काम करती है, इसके अध्ययन के लिए संस्थागतवाद ने एक मूल्यवान और व्यवहार्य दृष्टिकोण के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल कर ली (संरचनाएं देखें)।

पहला कारण न केवल साम्यवादी विश्व और तीसरी दुनिया जैसे विश्वव्यापी शासन परिवर्तन के कारण है, बल्कि शासन की मौजूदा प्रणालियों पर पुनर्विचार करने की व्यापक रूप से महसूस की गई आवश्यकता का परिणाम भी है। इसलिए नए, या अत्यधिक नवीनीकृत संविधान पश्चिमी यूरोप (उदाहरण के लिए नीदरलैंड और बेल्जियम) में भी उभरे या भारी विवादित थे (उदाहरण के लिए कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम)। तर्कसंगत रूप से, संविधान न केवल एक व्यापक रूप से फैली हुई घटना है, बल्कि राष्ट्र की राजनीति की दिशा और संगठन, यानी सरकार के संगठन और भूमिका के संबंध में एक महत्वपूर्ण "एपिफेनोमेनन" भी माना जाता है।

दूसरा कारण मुख्य रूप से युद्धोत्तर राजनीति विज्ञान के भीतर मौजूदा दृष्टिकोणों के प्रति बढ़ता असंतोष है। ध्यान का ध्यान धीरे-धीरे राजनीतिक खेल के (औपचारिक) नियमों के अध्ययन से हटकर संरचनात्मक कार्यात्मकता की ओर स्थानांतरित हो गया था, जिसमें एक ओर, राजनीतिक व्यवस्था को एक बड़े संपूर्ण भाग के रूप में माना जाता था; और दूसरी ओर, राजनीतिक अभिनेताओं के व्यवहार के प्रति (उदाहरण के लिए पार्टियाँ, हित समूह, सरकारें, नौकरशाही, आदि)। सरकार कैसे और क्यों कार्य करती है या, समान रूप से दिलचस्प, कार्य नहीं करती है, यह समझाने के संबंध में इन दृष्टिकोणों को बहुत सीमित या यहां तक कि पक्षपातपूर्ण माना जाता है।

निष्कर्ष

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और अन्य सभी संविधान निर्माताओं का मानना था कि भारतीय संघ अद्वितीय था। आपातकाल के समय यह स्वयं को पूर्णतः एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित कर सका। भारत में, आपातकालीन प्रावधान ऐसे हैं कि संविधान ही संघीय सरकार को स्थिति की मांग होने पर एकात्मक सरकार की ताकत हासिल करने में सक्षम बनाता है। इसलिए उनका विचार था कि यदि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो वह अपनी इच्छानुसार कार्य करने के बजाय भारत की एक इकाई के रूप में कार्य कर सकता है। इसका उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब अत्यावश्यक आवश्यकताएं उत्पन्न हों और सभी प्रशांत विधियां समाप्त हो गई हों। यह उपयोग के लिए अंतिम हथियार भी होना चाहिए क्योंकि यह भारत की सरकार की संघीय विशेषता को प्रभावित करता है। हालाँकि, केंद्र में राजनीतिक दल अपनी इच्छानुसार कई बार इसका दुरुपयोग करते हैं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अनुच्छेद 356 को भारतीय संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। भारत एक मजबूर इकाई है, जो पूरी तरह से अमेरिका के विरोध में है जहां राज्य अपनी इच्छा से एक संघ बनाने के लिए एक साथ आए। यदि अनुच्छेद 356 हटा दिया जाता है, तो यह निश्चित है कि राज्यों को भारत में बने रहने के लिए नियंत्रित करना श्रमसाध्य कार्य होगा। वर्तमान स्थिति में, राष्ट्रपति शासन के साथ-साथ कुछ ही चीजें हैं जो अच्छे केंद्र-राज्य संबंधों के लिए की जा सकती हैं। इनमें राजनीतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समय रहते राजनीतिक उलझनों को दूर करने की न्यायपालिका की इच्छा भी शामिल है।

संदर्भ

1. एस.आर. भंसाली, "भारत का संविधान" 23 (यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग - लेक्सिसनेक्सिस की एक छाप; दूसरा संस्करण, 2014)।
2. भारत के संविधान में अनुच्छेद 256।
3. स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर, पंजाब को लंबी, स्थिर गिरावट का सामना क्यों करना पड़ा, https://object.cato.org/आर्थिक-मुक्ति-india/Economic-Freedom-States-of-India-2012-Chapter-2 पर उपलब्ध है। पीडीएफ, आखिरी बार 12/03/2020 को देखा गया।
4. डॉ. अनिल कुमार दुबे, "राज्य सरकार का राष्ट्रपति अधिग्रहण" आईएलआई कानून समीक्षा ग्रीष्मकालीन अंक 2018, 1-41। http://ili.ac.in/pdf/akd.pdf पर उपलब्ध है। आखिरी बार 12/03/2020 को देखा गया।
5. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ ([1994] 2 एससीआर 644: एआईआर 1994 एससी 1918: (1994)3 एससीसी1। https:// Indiankanoon.org/doc/60799/ पर उपलब्ध, अंतिम बार 12/03/2020 को देखा गया।
6. भगवान डी. दुआ भारत में राष्ट्रपति शासन: संकट राजनीति में एक अध्ययन एशियाई सर्वेक्षण खंड। 19, संख्या 6 (जून, 1979), पीपी. 611- 626डीओआई: 10.2307/2643898
7. माला मोनी महंत बोरा, स्टेट इमर्जेंसीज़ इन इंडिया: ए क्रोनोलॉजी ऑफ़ आर्टिकल 356, (एलएपी लैंबर्ट एकेडमिक पब्लिशिंग, प्रथम संस्करण, 2015)।
8. श्री राम माहेश्वरी, भारत में राष्ट्रपति शासन, (मैकमिलन: नई दिल्ली, 1977)
9. संदीप शास्त्री, "भारतीय संघवाद और राष्ट्रीय एकता - एक आलोचना", द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वॉल्यूम। 51, नंबर 2 (1990)।
10. पी.एन. धर, इंदिरा गांधी, 'आपातकाल', और भारतीय लोकतंत्र, (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रथम संस्करण, 2004)।
11. कूमी कपूर, द इमरजेंसी (पेंगुइन वाइकिंग, दूसरा संस्करण, 2015)
12. एमपी। जैन, भारतीय संवैधानिक कानून, (लेक्सिस नेक्सिस, 7वाँ संस्करण, 2014)।
13. हस्मिता, भारतीय संघवाद समसामयिक मुद्दों का एक विश्लेषण, यहां उपलब्ध है http://jsil.lsyndicate.com/wp-content/uploads/2016/12/Federalism-Contemporary-Issues-Hasmita.pdf, अंतिम बार 23/05/ को देखा गया 2017.
14. सुरेंद्र सिंह और सतीश मिश्रा, भारत में संघवाद की अवधारणा: आलोचनात्मक विश्लेषण, लॉ टाइम्स जर्नल, उपलब्ध http://lawtimesjournal.in/concept-of-federalism-in-india-critical-analyse/#_ftn1, आखिरी बार 16/05/2017 को देखा गया।
15. आर.बी. जैन, भारत में संघवाद: उभरते रुझान और भविष्य का आउटलुक, यहां उपलब्ध है http://14.139.60.114:8080/jspui/bitstream/123456789/735/30/Federalism%20in%20India.pdf, अंतिम बार 22/05/2017 को देखा गया।